भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2502
दिनांक 13 मार्च, 2025

अशोकनगर तेल क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टा

†2502. श्री जगन्नाथ सरकार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अशोकनगर तेल क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है और यदि हां, तो अनुमोदन की तिथि और पट्टे की शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएल प्रदान करने में चार वर्षों से अधिक की देरी के क्या कारण हैं और प्रारंभिक विकास योजना (ईडीपी) के कार्यान्वयन न होने के कारण अनुमानित वित्तीय और उत्पादन हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) 99.06 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली एकीकृत क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) की स्थिति क्या है और अनुमानित तेल तथा गैस उत्पादन समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या अशोकनगर तेल क्षेत्र में उत्पादन शुरू हो गया है और यदि नहीं, तो पीएमएल की मंजूरी के बावजूद देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 24 फरवरी, 2025 के पत्र के माध्यम से नई अन्वेषण अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4 हेतु मेसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को 99.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 11 वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) निर्गत किया है। पट्टे के नियम और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ विधियों और नीतियों के अनुपालन में ओएनजीसी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों या विदेशियों को कार्य सौंपने की स्थिति में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना, ऐसे अन्य नियम और शर्तें जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकताओं और सार्वजनिक हित के आधार पर विनिर्धारित कर सकती है, आदि शामिल हैं।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अन्तर्गत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व अनुशंसा के साथ पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) प्रदान करने का अधिकार है। प्रारंभिक विकास योजना (ईडीपी) के आधार पर दिनांक 10.09.2020 को पीएमएल के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें एक क्षेत्र (5.88 वर्ग किलोमीटर जिसे बाद में 99.06 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया) के लिए एकल कूप, अशोकनगर-1

(खोजी कूप) पर विचार किया गया था। दिनांक 21.10.2020 को पीएमएल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की अनुशंसा के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को बताया गया, इसके बाद महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के माध्यम से दिनांक 01.02.2023 का पत्र और दिनांक 12.01.2024 को अर्धशासकीय पत्र भेजा गया। यह मामला दिनांक 04.07.2024 को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी उठाया गया था। पीएमएल की अनुपस्थिति में, प्रचालक ने मूल्यांकन/अन्वेषणात्मक वेधन गतिविधियों को जारी रखा और अन्य कूपों जैसे कानपुल-1, भुरकुंडा-1 और राणाघाट-2 में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति का पता चला। इसके बाद दिनांक 24.02.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अनंतिम पीएमएल प्रदान किया गया।

ईडीपी उत्पादन प्रोफाइल के अनुसार, पहले 4 वर्षों में 18274 घन मीटर तेल का उत्पादन परिकल्पित था। अशोकनगर-1 कूप को दिसंबर 2020 में परीक्षण उत्पादन पर रखा गया। दिसंबर 2020 से जुलाई 2022 तक विस्तारित परीक्षण के दौरान कूप में ~352 घन मीटर का वास्तविक उत्पादन हुआ। जैसाकि पीएमएल विलंबित हुआ तो कूप से उत्पादन को टालना पड़ा। चूँकि अब पीएमएल प्रदान किया गया है, शेष 17922 घन मीटर तेल का मौद्रीकरण ब्लॉक के लिए भावी उत्पादन योजना का एक हिस्सा है।

(ग) और (घ) अशोकनगर-1 खोज की एकीकृत क्षेत्र विकास योजना को सरकार द्वारा दिनांक 10.07.2024 को संस्वीकृति दी गई। अनंतिम पीएमएल राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2025 को निर्गत किया गया। विलेख निष्पादन के पश्चात् एफडीपी के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों के साथ तेल और गैस का उत्पादन क्रमशः 10 और 17 महीनों के भीतर अनुमानित है।

****